न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1687—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—05—2015 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गुनौर, जिला—पन्ना के प्रकरण क्रमांक 71/अपील/2013—14

....

मनोज कुमार पुत्र बद्री प्रसाद गर्ग
निवासी—ग्राम श्यामरड़ाड़ा तहसील गुनौर
जिला—पन्नाा, म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

देवकी बाई पुत्री स्व0 श्री भागीरथ प्रसाद
पत्नी बद्री प्रसाद गर्ग
निवासी—ग्राम गंगवरिया, तहसील नागौद
जिला—सतना, म0प्र0

.... अनावेदक

....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश
(आज दिनांक 6-2-2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गुनौर, जिला—पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—05—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम श्यामरड़ाड़ा तहसील गुनौर स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी नं0 121, 126, 579 किता 03 रकबा 0.96 हैक्टेयर एवं ग्राम सुपंथा की आराजी नं0 875, 881/1, 882/2, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1292 कुल किता 11 रकबा 4.25 हैक्टेयर तथा ग्राम चांपा की आराजी नं0 350, 353,

354 कुल किता 03 रकबा 0.36 हैक्टेयर आवेदक के नाम श्री भागीरथ प्रसाद गौतम के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी। उक्त आराजियों का वसीयतनामां दिनांक 16.05.2010 के द्वारा स्वेच्छा से बिना किसी दवाब के स्वस्थ मतिष्क से भूमिस्वामी भागीरथ प्रसाद द्वारा गवाहों के समक्ष अपने होश हवाश में आवेदक के नाम लेख की गई तथा उनकी मृत्यु के उपरांत उक्त आराजियों का फौती नामांतरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की मां देवकी बाई के नाम किये जाने का आदेश दिनांक को पारित किया गया। तहसील न्यायालय गुनौर के समक्ष ग्राम श्यामरड़ाड़ा की नामांतरण पंजी क्र0 34 आदेश दिनांक 25.08.2011 मौजा चांपा की नामांतरण पंजी क्र0 8 आदेश दिनांक 30.07.2011, ग्राम सुपंथा की नामांतरण पंजी क्र0 6 आदेश दिनांक 03.01.2012 से नामांतरण आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध आवेदक ने पृथक–पृथक से तीन अपील क्र0 68, 69, 71/अपील/2013–14 पर दर्ज की जाकर उक्त अपील में विधिवत नियमों का पालन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के साक्षियों द्वारा कथनों से सिद्ध किया गया। उक्त वसीयतनामा दिनांक 16.05.2010 के आधार पर नामांतरण न करते हुये वारिसाना हक के आधार पर नामांतरण पंजियों पर पृथक–पृकि आदेश पारित किये है। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा पृथक–पृथक तीन अपीले पेश की गई हें उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 29.05.2015 से तीनों अपीलों को निरस्त कर प्रकरण विचरण न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया । इसी आदेश से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक की मां देवी बाई मृत वसीयतकर्ता भागीरथ प्रसाद के पुत्र की पुत्री है तथा आवेदक के सगे नाना है। भागीरथ प्रसाद ने आवेदक के हित में एक वसीयत दिनांक 16.05.2010 से अपने स्वेच्छा से बिना किसी दवाब के स्वस्थ मस्तिष्क व पूर्ण होश–हवाश में समस्त गवाहों के समक्ष अपनी चल–अचल संपति के साथ भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर कब्जा हब मालकाना की सम्पूर्ण आराजियों मौजा श्यामरड़ाड़ा, सुपंथा एवं चांपा की भूमियों का अपने पुत्री के पुत्र अर्थात् नाती आवेदक मनोज कुमार के पक्ष में अंतिम इच्छा पत्र विधिवत लेख किया है। उक्त ग्रामों में स्थित सम्पूर्ण आराजियातों पर आवेदक का अपने नाना के भागीरथ प्रसाद के जीवन काल एवं

उनके मरने के बाद उनकी सम्पूर्ण खातों की भूमियों पर बिना किसी रूकावट व आपत्ति के स्वतंत्र पूर्वक भूमियों को जोत–बो कर व फसल काट–गाह कार फसलों का उपभोग पर फसल भूमियों फसल बोई है जो उगकर फसल तैयार हो रही है । इस तरह से आज तक उक्त भूमियों पर आवेदक का ही वसीयतनामा के आधार पर निरंतर कब्जा दखल हक मालिकाना चला आ रहा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसंगत होने से, कानूनी उपबन्धों व उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पारित आदेश होने से यथावत रखे जाने योग्य है व प्रस्तुत निगरानी को क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि स्व0 भागीरथ के केवल एक संतान अनावेदिका थी, जिसके द्वारा स्वतः समय–समय पर जाकर अपने पिताजी व माता की निरंतर सेवा की जाती थी व अन्य कई वर्षों तक अपनी दोनों पुत्रियों आरती गर्ग एवं भारती गर्ग को भेजकर सेवा की जाती थी तथा पुत्रियों का कक्षा 8 वी तक अध्ययन भी नाना स्व0 भागीरथ के यहां उनकी सेवा करते हुये कराया गया, जिस कारण से उनके एक मात्र पुत्री से स्व0 भागीरथ के किसी भी प्रकार से रूष्ट व असंतुष्ट होने का कोई कारण न होने से उनके द्वारा अपने स्वत्व की सम्पूर्ण सम्पत्तियों को आवेदक व किसी अन्य व्यक्ति के नाम अंतरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। जिस कारण से ही अनकी मृत्यु निवसीयत हुई एवं उनकी मृत्यु के पश्चात विधिवत उनकी एक मात्र पुत्री के नाम तीनों ग्रामों की सम्पत्तियों का वारिसाना नामांतरण आवेदक की जानकारी व उपस्थिति में दिनांक 25.08.11, 30.07.11 एवं 03.01.12 को विधि अनुसार किया गया जो कि उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है। उन्होंने अपने लिखित तर्क में यह भी कहा है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार गुनौर के समद्वा एक प्रकरण दिनांक 14.08.13 को बटवारा हेतु प्रकरण क्र0 44/अ–27/2012–13 प्रस्तुत किया गया, जिसमें भू–राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चांपा की भूमि खसरा क्रमांक 350, 353, 354 को अनावेदिका के नाम भूमिस्वामी के नाम दर्ज होने की बात स्वीकार कर व दर्शाकर एवं अनावेदिका को स्वतः से निगरानीकर्ता से ब्अवारा हेतु सहमति प्रदान किया जाना दर्शाकर

प्रस्तुत किया गया था, जो कि दिनांक 06.09.2013 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उपरोक्त प्रकरण से यह तथ्य प्रमाणित है कि आवेदक को अनावेदिका के नाम प्रश्नाधीन भूमियों में किये गये नामांतरण दिनांक 30.07.2011 की जानकारी उपरोक्त दिनांक 14.08.13 के पूर्व ही हो चुकी थी तभी उसके द्वारा सर्वप्रथम बटवारा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रश्नाधीन वसीयत का कोई उल्लेख नहीं किया गया था एवं इसके पश्चात जब बटवारा का प्रकरण निरस्त कर दिया तो आवेदक द्वारा अनावेदिका के पिता अपने नाना स्व0 भागीरथ की फर्जी वसीयत को स्व0 भागीरथ के विधियों से मिलकर षड्यंत्रपूर्वक तैयार की गई प्रश्नाधीन वसीयत दिनांक 16.05.2010 को स्व0 भागीरथ के मृत्यु दिनांक 22.06.2011 के पश्चाज निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमियों के बटवारा प्रकरण के विफल हो जाने के पश्चात सर्वप्रथम दिनांक 08.01.14 को अनावेदिका के पक्ष में किये गये प्रश्नाधीन भूमियों के नामांतरण दिनांक 25.08.11, 30.07.11 एवं 03.01.12 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में करीब 3 वर्षों के पश्चात किये जाने से प्रश्नाधीन वसीयत प्रथ दृष्टया कूटरचित होना प्रमाणित होती है जिसके आधार पर निगरानीकर्ता के नाम प्रश्नाधीन भूमियों का नामांतरण किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा जावे।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया, जिससे यह विदित होता है कि ग्राम श्यामरड़ाड़ा की आराजी नं0 121, 126, 579 किता 03 रकबा 0.96 हैक्टेयर एवं ग्राम सुपंथा की आराजी नं0 875, 881/1, 882/2, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1292 कुल किता 11 रकबा 4.25 हैक्टेयर तथा ग्राम चांपा की आराजी नं0 350, 353, 354 कुल किता 03 रकबा 0.36 हैक्टेयर आवेदक के नाम श्री भागीरथ प्रसाद गौतम के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी। उक्त आराजियां भागीरथ प्रसाद गौतम के मृत्यु के उपरांत उनकी पुत्री देवकी बाई पति बद्री प्रसाद गर्ग के नाम फौती वारिसान के रूप में दर्ज की गई। आवेदक द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा पेश किया गया तथा उसके साक्षियों द्वारा वसीयत लेख होने के संबंध में बताया गया है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत

वसीयतनामा एवं साक्षियों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, गुनौर द्वारा प्रत्यावर्तित आदेश पारित कर निर्देशित किया कि प्रस्तुत वसीयत का विधिवत परीक्षण करें।

6/ अतएव ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर मेरे मतानुसार अनुविभागीय अधिकारी गुनौर ने अपने प्रकरण क्रमांक 71/अपील/2013–14 में जो आदेश दिनांक 29–05–2015 को पारित किया है, वह उचित है। मैं अनुविभागीय अधिकारी के इस निर्णय से सहमत हूँ । अतः अनुविभागीय अधिकारी गुनौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2015 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। परिणाम स्वरूप निगरानी खारिज की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर